कार्यालय :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpccfdevelopment@gmail.com, Phone & Fax No. 0651-2481813

पत्रांक : 01/यो0बजट–43/2015–(खण्ड–1)–680 दिनांक– 18.05.2017

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, खूँटी वन प्रमंडल, खूँटी/
वन प्रमंडल पदाधिकारी, सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा/
वन प्रमंडल पदाधिकारी, गुमला वन प्रमंडल, गुमला।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2017–18 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में कार्यान्वित की जाने वाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत कुसमी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत स्वयं सहायता समुह के द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) के लिए कुल **रू0 40.940 लाख (चालीस लाख चौरान्बे हजार रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंगः– वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 04/यो0बजट–68/2015–46/स्वी0 व0 प0 दिनांक–19.11.2015 एवं वन विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट–68/2015–14/आ0 व0प0 दिनांक 04.04.2017 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406–वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष– 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष–09–लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपबंध के अंतर्गत आवंटित राशि से कुल **रू0 40.940 लाख (चालीस लाख चौरान्बे हजार रूपये) मात्र** का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता हैः–

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601796090103	22.729
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601796090323	17.187
प्रशिक्षण	19S240601796090335	1.024
कुल :–		**40.940**

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक–1** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने–अपने कार्यालयों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक–2** तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–3** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या–19S240601796090103, 19S240601796090323 एवं 19S240601796090335 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत सुसंगत दिशा–निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. वन प्रमण्डलों द्वारा "स्थल विशेष प्राक्कलन" श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं कार्य दरों पर तैयार किया जायेगा तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की जायेगी जिसकी प्रमंडलवार समेकित प्रतिवेदन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय में समर्पित किया जाएगा।

6. नियंत्री तथा व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप ही रखा जायेगा तथा राशि का व्यय वास्तविक रूप से स्थल विशेष प्राक्कलन पर प्रदत तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जायेगा।

7. वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यान्वित की गई लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत संयुक्त वन प्रबंधन समिति के स्वयं सहायता समूहों द्वारा रंगीनी/कुसुमी लाह उत्पादन (प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष) संबंधी निम्नलिखित सूचनाएँ संधारित कर 30 जून, 2017 तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जाय। :–

क्र0 सं0	प्रमंडल का नाम	प्रक्षेत्र का नाम	योजना से संबंधित वन स्थल का नाम	चिन्हित पेड़ो की संख्या	स्वयं सहायता समूह से जुड़ी समिति का नाम	समूह के व्यक्ति का नाम एवं पता/मोबाईल नं0 के साथ	INRG में प्रशिक्षित व्यक्तियों का नाम एवं पता/मोबाईल नं0 के साथ	संस्थान का नाम जहां से Brood Lac का क्रय किया गया है।
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix

8. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्रक पदाधिकारियों एवं सबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

9. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथ एतद् संबंधी पत्र–परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरूद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

11. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

13. लाह उत्पादन से संबंधित कार्य की आवश्यकतानुसार जाँच/ सत्यापन असम्बद्ध प्रमण्डल से कराई जायेगी। संबंधित कार्य के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

14. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0बजट–43/2015–(खण्ड–1)–680** दिनांक– 18.05.2017

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0बजट–43/2015–(खण्ड–1)–680** दिनांक– 18.05.2017

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, खूँटी/ कोषागार पदाधिकारी, सिमडेगा/कोषागार पदाधिकारी, गुमला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0बजट–43/2015–(खण्ड–1)–680** दिनांक– 18.05.2017

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित वन संरक्षक, योजना अंचल, राँची/उप वन संरक्षक, योजना, जनजातीय क्षेत्र, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक– 1

वित्तीय वर्ष 2017–18 में कार्यान्वित की जाने वाली ''लघु वन पदार्थ का उन्नयन'' योजना (जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत कुसमी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत स्वयं सहायता समुह के द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) का तृतीय वर्ष का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

लाह–पोषक प्रजाति कुसुम के वृक्षों की संख्या–12500 प्रति वन प्रमण्डल (10 वृक्ष प्रति लाभुक परिवार, कुल 1250 लाभुक परिवार)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह की संख्या	वृक्षों की कुल संख्या (100 वृक्ष प्रति समिति)	वित्तीय वर्ष 2017–18			
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	प्रशिक्षण	कुल
				5.549	**4.196**	**0.250**	**9.995**
i	**ii**	**iii**	**iv**	**v**	**vi**	**vii**	**viii**
1	खूँटी वन प्रमंडल,	125	12500	5.549	4.196	0.250	9.995
2	सिमडेगा वन प्रमंडल,	250	25000	11.098	8.392	0.500	19.990
3	गुमला वन प्रमंडल,	137	13700	6.082	4.599	0.274	10.955
	योग :–	**512**	**51200**	**22.729**	**17.187**	**1.024**	**40.940**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची

कुसुमी लाह उत्पादन हेतु दर तालिका

कुसुमी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) के अंतर्गत लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) की योजना (तीन वर्षीय) की कार्य दर

लाह–पोषक प्रजाति कुसुम के वृक्षों की संख्या–12500 प्रति वन प्रमण्डल (10 वृक्ष प्रति लाभुक परिवार, कुल 1250 लाभुक परिवार, मजदूरी दर – रू0 229.90 प्रति मानव दिवस)

(रू0 लाख में)

क्र0 सं0	कार्य का विवरणी	दर	प्रथम वर्ष					द्वितीय वर्ष					तृतीय वर्ष मजदूरी प्रति मानव दिवस 229.90					सकल योग	अभ्युक्ति
			भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय	भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय	भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय		
1	वृक्षों का चिह्नांकन	रू0 2.65 प्रति वृक्ष	12500 वृक्ष	0.331	0.000	0.000	0.331		0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.331	प्रति लाभुक परिवार 10 कुसुम के वृक्षों का चिन्हांकन किया जाएगा जिसे तीन सेट में बाँटा जाएगा। प्रथम वर्ष में सेट–1 के लाभार्थियों द्वारा पूर्व से ही कटाई छटाई किए गए 3750 (3 वृक्ष प्रति परिवार) उपलब्ध वृक्षों पर जनवरी/फरवरी माह में बीहन लाह का संचारण किया जाएगा एवं सेट–2 के 5000 वृक्षों (4 वृक्ष प्रति परिवार) की कटाई छटाई की जाएगी।
1	प्रशिक्षण																		
	(क) हितग्राही परिवारों के एक–एक सदस्य को समूहों में IINRG के लाह वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण	100 रू0 प्रति परिवार प्रति वर्ष			1.000	0.250	1.250			1.000	0.250	1.250			1.000	0.250	1.250	3.750	
	(ख) लाह पर्यवेक्षक एवं 12 CRP (Community Resource Person) एक–एक शिक्षित सदस्य / प्रति 100 परिवार को मास्टर ट्रैनर्स के रूप में भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान, नामकुम, राँची में एक सप्ताह का प्रशिक्षण	2000 रू0 प्रति प्रशिक्षणार्थी				0.260	0.260					0.000					0.000	0.260	भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान, नामकुम, राँची (IINRG) के लाह वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।
3	टूलकीट एवं अन्य सामग्री	रू0 1775/– प्रति टूलकीट; 100 वृक्षों पर एक कीट			2.219		2.219					0.000					0.000	2.219	प्रथम वर्ष में सेट–1 के लाभार्थी द्वारा कटाई छटाई किए गए 3750 (3 वृक्ष प्रति परिवार) उपलब्ध वृक्षों पर जनवरी/फरवरी माह में बीहन लाह का संचारण किया जाएगा एवं सेट–2 के 5000 वृक्षों की कटाई छटाई की जाएगी। द्वितीय वर्ष में सेट–3 के 3750 वृक्षों की कटाई छटाई एवं सेट–2 के 5000 वृक्षों पर बीहन लाह का संचारण किया जाएगा। तृतीय वर्ष में सेट –3 के 3750
4	वृक्षों की कटाई–छँटाई	1 मानव दिवस प्रति 5 वृक्ष	5000 वृक्ष	2.216			2.216	3750 वृक्ष	1.662			1.662					0.000	3.878	
5	बीहन लाह का क्रय	4 कि0 ग्राम प्रति वृक्ष; रू0 200 प्रति कि0ग्रा0	3750 वृक्ष		30.000		30.000	गत वर्ष उत्पादित बीहन से 5000 वृक्ष				0.000	गत वर्ष उत्पादित बीहन से 3750 वृक्ष				0.000	30.000	
6	संचारण व्यय	1 मा0 दि0 प्रति 5 वृक्ष	3750 वृक्ष	1.662			1.662	5000 वृक्ष	2.216			2.216	3750 वृक्ष	1.724			1.724	5.602	
7	फसल संरक्षण पर व्यय	60 रू0 प्रति वृक्ष (कीटनाशक इत्यादि)	3750 वृक्ष		2.250		2.250	5000 वृक्ष		3.000		3.000	3750 वृक्ष		2.250		2.250	7.500	
8	कीटनाश छिड़काव हेतु रॉकिंग स्प्रे (गटोर) मशीन	1 मशीन प्रति 10 लाभुक परिवार @ 6000रू0			7.500		7.500					0.000					0.000	7.500	
9	फुन्की का स्क्रेपिंग एवं संग्रहण	4 मानव दिवस प्रति 100 वृक्ष	3750 वृक्ष	0.332			0.332	5000 वृक्ष	0.443			0.443	3750 वृक्ष	0.345			0.345	1.120	
10	तकनिकी सहायता (विशेषज्ञों एवं लाह पर्यवेक्षकों का यात्रा व्यय सहित)				0.250		0.250			0.250		0.250		0.000	0.250		0.250	0.750	
11	लाह पर्यवेक्षकों को मानदेय	1 पर्यवेक्षक@ Rs. 5000/ पर्यवेक्षक/माह	1 पर्यवेक्षक (6 माह)	0.300	0.000	0.000	0.300	1 पर्यवेक्षक (12 माह)	0.600	0.000	0.000	0.600	1 पर्यवेक्षक (12 माह)	0.600	0.000	0.000	0.600	1.500	
12	CRP (Community Resource Person) को मानदेय	12 CRP @ 2000रू0 प्रति माह	12 CRP (6 माह)	1.440			1.440	12 CRP (12 माह)	2.880			2.880	12 CRP (12 माह)	2.880			2.880	7.200	
13	अन्य आकस्मिक व्यय (बोर्ड/प्लास्टिक रस्सी, रंग, पेंट, स्टेशनरी इत्यादि)			0.000	0.500		0.500			0.500		0.500			0.500		0.500	1.500	
	कुल			*6.282*	*43.719*	*0.510*	*50.512*		*7.801*	*4.750*	*0.250*	*12.801*		*5.549*	*4.000*	*0.250*	*9.799*	*73.112*	
14	Concurrent Monitoring and Evaluation (Inclunding MIS, documentation, data Collection, reports, case studies etc.)				1.010		1.010			0.256		0.256			0.196		0.196	1.462	
	सकल योंग			6.282	44.729	0.510	51.522		7.801	5.006	0.250	13.057		5.549	4.196	0.250	9.995	74.573	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

D:\2017-18\Development\Sub-Allotment 2017-18\TSP\MFP\S.O. 45 dt. 19.11.15\MFP (3rd year)D:\2017-18\Development\Sub-Allotment 2017-18\TSP\MFP\S.O. 45 dt. 19.11.15\MFP (3rd year)

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वितीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 01/yb-43/2015/680 दिनांक - 18-May-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme : Centeral Scheme :	33521	RNCFORK01 A.K. GUPTA D.F.O KHUNTI	554,900.00 रुपये पॉच लाख चौपन हजार नौ सौ
2	S 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme : Centeral Scheme :	33522	SDGFOR002 TAJBIR BHAGAT DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	1,109,800.00 रुपये ग्यारह लाख नौ हजार आठ सौ
3	S 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme : Centeral Scheme :	33523	GMLFOR001 AJIT KUMAR SINGH D.F.O. GUMLA	608,200.00 रुपये छः लाख आठ हजार दो सौ

योग: 2,272,900.00

क्रमिक योग: रुपये बाइस लाख बहत्तर हजार नौ सौ

(SHRI SATNAM SINGH

ADDI.PCCF (DEVAN) JHARKHAND

RANCHI

 164.100.150.2 Run Date: 18/5/2017

पत्र संख्या - 01/YB-43/2015/680

दिनांक - 18-May-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601796090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme : Centeral Scheme :	33531	RNCFORK01 A.K. GUPTA D.F.O KHUNTI	419,600.00 रुपये चार लाख उन्नीस हजार छः सौ
5	S 19 240601796090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme : Centeral Scheme :	33533	SDGFOR002 TAJBIR BHAGAT DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	839,200.00 रुपये आठ लाख उनचालीस हजार दो सौ
6	S 19 240601796090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme : Centeral Scheme :	33534	GMLFOR001 AJIT KUMAR SINGH D.F.O. GUMLA	459,900.00 रुपये चार लाख उनसठ हजार नौ सौ

योग: 1,718,700.00

क्रमिक योग: रुपये उनचालीस लाख इनकानवे हजार छः सौ 3,991,600.00

(SHRI SATNAM SINGH

BADHAWAN, IFS)

ADDI.PCCF DEV JHARKHAND

RANCHI

164.100.150.21

Run Date: 18/5/2017

पत्र संख्या - 01/YB-43/2015/680 दिनांक - 18-May-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601796090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय State Scheme : Centeral Scheme :	33536	RNCFORK01 A.K. GUPTA D.F.O KHUNTI	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार
8	S 19 240601796090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय State Scheme : Centeral Scheme :	33537	SDGFOR002 TAJBIR BHAGAT DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	50,000.00 रुपये पचास हजार
9	S 19 240601796090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय State Scheme : Centeral Scheme :	33538	GMLFOR001 AJIT KUMAR SINGH D.F.O. GUMLA	27,400.00 रुपये सत्ताइस हजार चार सौ

योग: 102,400.00

क्रमिक योग: रुपये चालीस लाख चौरानवे हजार 4,094,000.00

(SHRI SATNAM SINGH

ADDI.PCCF DEVANJHARKHAND

RANCHI

 164.100.150.2 Run Date: 18/5/2017